न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :— प्रार्थना पत्र संख्या 188/2022

1. ईशरदास पुत्र मिलखदास जाति जटसिख निवासी 10 एलएल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
2. तेगदास पुत्र मिलखदास जाति जटसिख निवासी 10 एलएल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
3. तारदास पुत्र मिलखदास जाति जटसिख निवासी 10 एलएल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
4. मोहनदास पुत्र मिलखदास जाति जटसिख निवासी 10 एलएल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1. श्री भजन लाल टाक — — प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज — — अप्रार्थी 1

— :: निर्णय ::—

दिनांक :—17.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 10 एल एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 45 के मु.न. 41 में कुल 3. 1620 हैक्टर जिसमें प्रार्थी संख्या 1 के नाम से 0.790 प्रार्थी संख्या 2 के नाम 0.790 प्रार्थी संख्या 3 के नाम 0.791 व प्रार्थी संख्या 4 के नाम 0.791 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है । नकल जमाबंदी का संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण का नाम इन्द्रपालसिंह तेजपाल, अवतारसिंह व मोहनसिंह है लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 में प्रार्थी संख्या 1 ईशरदास प्रार्थी संख्या 2 का नाम तेगदास प्रार्थी संख्या 3 का नाम तारदास व प्रार्थी संख्या 4 का मोहनदास अंकित है । जबकि ईशरदास का नाम इन्द्रपालसिंह, तेगदास का नाम तेजपाल,तारदास का नाम अवतारसिंह, मोहनदास का नाम मोहनसिंह में लिखा होना चाहिए था । यानि प्रार्थी संख्या 1 का नाम इन्द्रपाल सिंह प्रार्थी संख्या 2 का नाम तेजपाल, प्रार्थी संख्या 3 का नाम अवतारसिंह, प्रार्थी संख्या 4 का नाम मोहनसिंह अंकित होना चाहिए था उक्त नाम सहवन गलती से गलत अंकित हो गये है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की जाति जटसिख है लेकिन प्रार्थीगण के चारों की जाति उदासीन साधु अंकित हो गयी है जो कि सहवन से दर्ज हुई जिसे भी प्राथीगण दुरूस्त करवाना चाहते है । प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में गलत अंकित होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में ईशरदास के स्थान पर इन्द्रपालसिंह, तेगदास के स्थान पर तेजपाल, तारदास के स्थान पर अवतारसिंह, मोहनदास के स्थान पर मोहनसिंह दुरूस्त करवाना चाहते है व इसके अतिरिक्त जाति उदासीन साधु के स्थान पर जटसिख अंकित करवाना चाहते है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जिसे दुरूस्त करवाये जाने में किसी प्रकार कोई कानूनी बाधा नहीं है । प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार क्षेत्र का है जो कि पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके चक वाके चक 10 एल एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 45 के मु.न. 41 में कुल 3. 1620 हैक्टर जिसमें प्रार्थी संख्या 1 के नाम से 0.790, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 0.790,प्रार्थी संख्या 3 के नाम 0.791 व प्रार्थी संख्या 4 के नाम 0. 791 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम ईशरदास के स्थान पर इन्द्रपालसिंह, तेगदास के स्थन पर तेजपाल, तारदास के स्थान पर अवतारसिंह, मोहनदास के स्थान पर मोहनसिंह दुरूस्त करवाना चाहते है व इसके अतिरिक्त जाति उदासी साधु के स्थान पर जटसिख अंकित करवाना चाहते है जो कि किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 6062 दिनांक 22.10.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सरपंच ग्राम पंचायत ततारसर के द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार अवतार सिंह व तारदास एक ही व्यक्ति का नाम है, इन्द्रपाल व ईशरदास एक ही व्यक्ति का नाम है, तेजपाल व तेजदास एक ही व्यक्ति का नाम है, मोहनसिंह व मोहनदास एक ही व्यक्ति का नाम है और इनकी जाति जट सिख बताई गई है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण स्वयं का शपथ पत्र 50/– रूपये तादादी, प्रार्थीगण के स्वयं प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि, निर्वाचन पहचान पत्र, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 10 एलएल पटवार हल्का ततारसर भू.अ.नि. चूनावढ़ खाता संख्या 60/44, का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट, सरपंच ग्राम पचायत ततारसर के द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी ईशरदास के स्थान पर इन्द्रपालसिंह उर्फ ईशरदास, तेगदास के स्थन पर तेजपाल उर्फ तेगदास, तारदास के स्थान पर अवतारसिंह उर्फ तारदास, मोहनदास के स्थान पर मोहनसिंह उर्फ मोहनदास अंकित किये जाये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवम् इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की जाति उदासी साधु के स्थान पर जटसिख अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner